बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांक – Exp-11/2020- 3264 पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 ई0।

प्रेषक
रंजिता, भा०प्र०से०
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में
सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी (बिहार राज्य)।

विषय : बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020–निर्वाचन व्यय अनुश्रवण को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग : इस कार्यालय का पत्रांक 3050 दिनांक 08.09.2020.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इसके लिए आवश्यक है कि सभी संबंधित पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निर्गत दिशा–निदेशों एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये गये Compendium of Instructions on Election Expenditure (Aug, 2020) में वर्णित सभी प्रावधानों का अध्ययन कर उससे भली भाँति अवगत हो जायें।

निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के क्रम में Illegal Cash / Fake Currency/ Liquor / Drugs / Arms / Freebies / Anti-social elements आदि के movement तथा राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले व्यय पर नजर रखने हेतु आयोग द्वारा एक सुव्यवस्थित व्यापक तंत्र (structure of the expenditure monitoring mechanism) की व्यवस्था की गयी है, जो निम्नवत् है :–

(1) Expenditure Oberver (EO)
(2) Assistant Expenditure Observer (AEO)
(3) Video Surviellance Team (VST)
(4) Video Viewing Team (VVT)
(5) Accounting Team (AT)
(6) Complaint Monitoring Control Room and Call Centre
(7) Media Certification and Monitoring Committee (MCMC) & Paid News
(8) Flying Squad (FS)
(9) Static Surveillance Team (SST)
(10) Excise Team
(11) Expenditure Sensitive Constituencies (ESCs) & Expenditure Sensitive Pockets (ESPs)

जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु गठित सभी दलों पर नजर रखने के लिए अपर समाहर्त्ता (ADM) स्तर के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे। यह सभी दल एवं नोडल पदाधिकारी Expenditure Monitoring Cell के हिस्सा होंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु उपर्युक्त सभी दलों का गठन सुनिश्चित करते हुए इसमें संलग्न सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं Compendium of Instructions on Election Expenditure में दिये गये निदेश के अनुसार निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु गठित विभिन्न दलों को ससमय क्रियाशील (active) करना भी सुनिश्चित करेंगे।

इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि निर्वाचन क्षेत्रों की संवेदनशीलता का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के संक्षिप्त विवरण एवं पिछले घटनाक्रमों के आधार पर किया जाता है, जिनमें अत्यधिक व्यय और भ्रष्ट परिपाटियों को अपनाये जाने की संभावना है। विदित हो कि बिहार राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा निर्वाचन व्यय से संबंधित संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure Sensitive Constituencies) को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। निर्वाचन के दौरान उपर्युक्त कारणों से यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र की संवेदनशीलता प्रभावित होती है, तो संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों की पुर्नसमीक्षा करते हुए इससे संबंधित संशोधित प्रतिवेदन पुनः भेजना सुनिश्चित करेंगे। आयोग के निदेशानुसार ऐसे संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के लिए दो सहायक व्यय प्रेक्षकों (Assistant Expenditure Observers), उड़नदस्तों (Flying Squads), स्थैतिक निगरानी दलों (Static Surveillance Team) तथा वीडिया निगरानी दलों (Video Surviellance Teams) की ऐसी अतिरिक्त संख्या जो शेष विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात संख्याओं से आवश्यकतानुसार अधिक होंगी।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि Compendium of Instructions on Election Expenditure तथा समय–समय पर आयोग द्वारा दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्वाचन व्यय अनुश्रवण हेतु गठित विभिन्न प्रकार के दलों से संबंधित सूचना निम्नलिखित प्रपत्र में इस कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराने की कृपा की जाये :–

Name of District	No. & Name of Assembly Constituencies	No. of FSs	No. of SSTs	No. of AEOs	No. of VSTs	No. of VVTs	No. of ATs	No. of Excise Teams

विश्वासभाजन

ह०/

(रंजिता)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

ज्ञापांक : 3264 पटना, दिनांक 18 सितम्बर, 2020 ई०।

प्रतिलिपिः– सभी उप निर्वाचन पदाधिकारी/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी (बिहार राज्य) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 17.09.2020

(रंजिता)

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।